भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3771

जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2021 को दिया जाना है

परमाणु अपशिष्ट निपटान नीति

3771. श्री केसिनेनी श्रीनिवास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति परमाणु अपशिष्ट निपटान करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस नीति को बदलने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार एक नीति बनाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में यूरेनियम खानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) से (घ) भारत सरकार सर्वोत्तम प्रणाली, देश के विधिक और नियामक ढांचे के अनुसार और संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रेडियोसक्रिय अपशिष्ट से संरक्षा सुनिश्चित करने और इसके तकनीकी रूप से इष्टतम और लागत-प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है । भारत की रेडियोसक्रिय अपशिष्ट प्रबंधन नीति तदनुसार स्थापित की गई है ।

परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और इसके अधीन बनाए गए परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 एवं परमाणु ऊर्जा (रेडियोसक्रिय अपशिष्ट का संरक्षित निपटान) नियम, 1987 में रेडियोसक्रिय अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रावधान हैं ।

इस नीति को बदलने की कोई योजना नहीं है ।

(ङ) देश में यूरेनियम खानों का राज्य-वार विवरण निम्नलिखित है :

क्रम सं.	राज्य	खानों का नाम
1.	झारखंड	1. जादुगुडा खान
		2. भाटिन खान
		3. नरवापहाड़ खान
		4. बागजाता खान
		5. तुरमडीह खान
		6. बांडुहुरंग खान
		7. मोहुलडीह खान
2.	आंध्र प्रदेश	1. तुम्मलापल्ली खान

* * * * *